NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-08-2024

सामग्री की तालिका

उच्चतम न्यायलय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

भारत और मलेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी

भारत और जापान की '2+2' वार्ता हिंद-प्रशांत पर केंद्रित

वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए रूपरेखा

संक्षिप्त समाचार

जलस्तंभ

महाराष्ट्र के धनगर

जन पोषण केंद्र

दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए ठच्ंस्ड व्यवस्था

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

मंगल ग्रह पर तरल जल

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

पुरंदर अंजीर

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

उच्चतम न्यायलय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने हेतु वरिष्ठ चिकित्सा पेशेवरों का एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) गठित किया।

राष्ट्रीय टास्क फार्स के बारे में(NTF)

- NTF को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा को रोकने और प्रशिक्षुओं, रेजिडेंट डॉक्टरों और गैर-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कार्य स्थितियों का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- कार्य योजना में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनमें सम्मिलित हैं:
  - आपातकालीन कक्षों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना;
  - चिकित्सा कर्मचारियों के लिए शौचालय और लिंग-तटस्थ स्थान उपलब्ध कराना;
  - बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू करना, प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना और सभी अस्पताल क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाना।
  - संस्थागत सुरक्षा उपायों का त्रैमासिक ऑडिट करना;
  - चिकित्सा प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम लागू करना, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष चुनौतियाँ

- **कार्यभार और अक्रियाशीलता:** अधिक रोगी-से-कर्मचारी अनुपात के परिणामस्वरूप कार्यभार अत्यधिक हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी लंबे समय तक काम करने, उच्च तनाव और आराम करने के लिए अपर्याप्त समय के कारण अक्रियाशीलता का अनुभव करते हैं।
- **हिंसा और दुर्व्यवहार:** स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा की विभिन्न घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले शामिल हैं।
- **अपर्याप्त मुआवजा:** स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों का वेतन जीवन यापन की लागत और नौकरी की माँगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
- **बुनियादी ढाँचे के मुद्दे:** स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में खराब बुनियादी ढाँचा जैसे कि उचित स्वच्छता की कमी, अविश्वसनीय बिजली और अपर्याप्त चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रोगी देखभाल और कर्मचारी सुरक्षा से समझौता करते हैं।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम:** स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संक्रामक रोगों के संपर्क में आना शामिल है, विशेष रूप से कम

संसाधन वाली सेटिंग्स में जहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और संक्रमण नियंत्रण उपाय अपर्याप्त हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विधिक संरक्षण का वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून विद्यमान नहीं है।
- 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून प्रभावी किए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
    - एकरूपता के अभाव का अर्थ है कि संरक्षण असंगत है।
- राज्यों में, केरल और कर्नाटक अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भारत में सबसे प्रबल विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ

- कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरण है।
- जबकि समवर्ती सूची केन्द्रीय कानून बनाने की अनुमति देती है, केन्द्र सरकार ने इस प्रकरण को प्राथमिकता नहीं दी है, तथा यह राज्यों पर निर्भर कर दिया है।

आगे की राह

- **घटना की रिपोर्टिंग:** हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित करें जो रिपोर्ट करने वालों के लिए गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **कार्यस्थल सुरक्षा नीतियाँ:** स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने और उसका प्रत्युत्तर देने के लिए व्यापक कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करें।

Source: TH

भारत और मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के मध्य वार्ता के दौरान भारत और मलेशिया ने संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक उन्नत करने का निर्णय लिया।

परिचय

- दोनों नेताओं ने 2010 की रणनीतिक साझेदारी को उन्नत करने के निर्णय की घोषणा की, जिसे 2015 में 'उन्नत रणनीतिक साझेदारी' बनाया गया था, साथ ही उनकी उपस्थिति में विभिन्न समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

- इनमें श्रमिकों की गतिशीलता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल और शिक्षा पर समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

- दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान संघर्षों और तनावों सहित भू-राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की।

भारत और मलेशिया संबंधों का अवलोकन

- **राजनयिक संबंध:** 1957 में मलेशिया को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भारत और मलेशिया ने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे।
  - दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** मलेशिया भारत का 13वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत वैश्विक स्तर पर 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
  - इसके अतिरिक्त, मलेशिया आसियान क्षेत्र से भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है और भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों में मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - मलेशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में स्थित है, क्योंकि दोनों देशों ने भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) जैसे विभिन्न आर्थिक समझौतों में भाग लिया है।
  - दोनों देशों ने भारतीय रुपये में व्यापार निपटान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो व्यापार संबंधों को सशक्त करने के उद्देश्य को दर्शाता है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** रक्षा संबंधों में निरंतर विस्तार हुआ है, जिसकी पहचान 1993 में रक्षा सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर, नियमित रक्षा सहयोग बैठकें, संयुक्त सैन्य अभ्यास और 18 नए भारतीय हल्के लड़ाकू जेट विमानों को प्राप्त करने में मलेशिया की रुचि से हुई है, जो दोनों देशों के मध्य हथियारों के व्यापार में संभावित वृद्धि का संकेत देता है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत और मलेशिया ने उच्च स्तरीय यात्राओं, संयुक्त आयोगों और संवादों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से अपनी रणनीतिक साझेदारी को दृढ़ करने का लक्ष्य रखा है।
  - दोनों देशों ने रक्षा, आतंकवाद-निरोध, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है।
- **आसियान केन्द्रीयता:** मलेशिया आसियान के साथ भारत के व्यापार का विस्तार करने, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में समुद्री संपर्क को आगे बढ़ाने और आसियान के इंडो-पैसिफिक परिप्रेक्ष्य (AOIP) और इंडो-पैसिफिक पहल (IPOI) का समर्थन करने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

- **पर्यटन और प्रवासी:** पिछले दो दशकों में, पर्यटन भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में आधारशिला रहा है।
    - राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए भारत-मलेशिया वीजा छूट, 2010 में पर्यटन-केंद्रित समझौता ज्ञापन, 2009 में रोजगार और श्रमिक कल्याण पर द्विपक्षीय समझौता और 2017 में संशोधित हवाई सेवा समझौता सहित विभिन्न समझौतों ने राष्ट्रों के बीच पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** मलेशिया में भारतीय प्रभाव मलेशियाई संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, जिसमें भाषा, धर्म (हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म), वास्तुकला, भोजन और त्योहार सम्मिलित हैं।

चुनौतियां

- **व्यापार विवाद और असंतुलन:** टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों ने कभी-कभी दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।
- **घरेलू राजनीति:** दोनों देशों में आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम प्रायः संबंधों को तनावपूर्ण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार या राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव से विदेश नीति की प्राथमिकताओं में बदलाव होता है।
- **भू-राजनीतिक विचार:** दोनों देशों की विदेश नीति प्राथमिकताएँ और अन्य देशों के साथ जुड़ाव अलग-अलग हैं, जिससे रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर होता है।
- **दक्षिण चीन सागर:** हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर विवादों पर मलेशिया का दृष्टिकोण इसकी व्यापक क्षेत्रीय रणनीतियों को प्रभावित करता है।
    - क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा में भारत की रुचि कभी-कभी मलेशिया की स्थिति के अनुरूप या उससे विरोधाभासी होती है।

निष्कर्ष

- भारत और मलेशिया 2022 में आधुनिक राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे।
- भारत और मलेशिया के मध्य संबंध रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर उन्नत रणनीतिक साझेदारी और अब व्यापक साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं, जिसमें सांस्कृतिक कूटनीति, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृषि वस्तुओं में नया सहयोग सम्मिलित है।

Source: TH

भारत और जापान की '2+2' वार्ता हिंद-प्रशांत पर केंद्रित

सन्दर्भ

- एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भागीदारी में, भारत और जापान ने हाल ही में अपनी तीसरी "2+2" वार्ता आयोजित की, जिसमें उनके विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ उपस्थित हुए।

भारत-जापान 2+2 वार्ता (2024) के बारे में

- यह दो देशों के विदेश मामलों और रक्षा मंत्रियों (या सचिवों) के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक को संदर्भित करता है।
- यह एक ऐसा प्रारूप है जो रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संरेखण सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अनुमति देता है।
- इसमें रक्षा सहयोग और एक स्वतंत्र तथा खुले इंडो-पैसिफिक के महत्व पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, विशेषकर चीन की आक्रामकता को देखते हुए।
    - भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। भारत के लिए, यह स्वाभाविक रूप से उसकी एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित है।
    - दोनों देश एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को पहचानते हैं, जहाँ समुद्री सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामरिक संदर्भ

- यह वार्ता स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पृष्ठभूमि में हुई। दोनों देश इस क्षेत्र के महत्व को समझते हैं, विशेषकर इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों को देखते हुए।
- भारत और जापान एक "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" साझा करते हैं। यह सम्बन्ध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इस साझेदारी के अंदर रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है।

परस्परिक सहयोग

- पिछले दशक में भारत-जापान संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं। यह विकास हितों और सहयोगात्मक प्रयासों के विस्तार से सामने आया है।

"2+2" वार्ता के हालिया उदाहरण

- **भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023):** इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के मध्य वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना था, जिसमें रक्षा औद्योगिक संबंधों, हिंद-प्रशांत जुड़ाव, उच्च प्रौद्योगिकी और खनिजों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023):** चर्चाएँ रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थीं, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

"2+2" वार्ता का महत्व

- **व्यापक सहभागिता:** "2+2" प्रारूप समग्र चर्चा की अनुमति देता है जो कूटनीतिक और रक्षा दृष्टिकोणों को जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों मंत्रालय अपनी रणनीतियों और नीतियों को संरेखित करें।
- **रणनीतिक संरेखण:** तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, देश ऐसे विश्वसनीय भागीदारों की तलाश करते हैं जो समान हितों को साझा करते हों। संवाद रणनीतिक संरेखण और आपसी समझ को दृढ करने में सहायता करता है।
- **इंडो-पैसिफिक फोकस:** इनमें से विभिन्न संवाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर बल देते हैं - वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। प्रतिभागी समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करते हैं।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** जापान भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जिसमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना सम्मिलित है।
- **व्यापार और निवेश:** दोनों देश सक्रिय रूप से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं। जापान भारत में एक प्रमुख निवेशक है, विशेषकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में।
- **तकनीकी सहयोग:** भारत और जापान रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। भारत-जापान डिजिटल साझेदारी जैसी पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाना है।

सांस्कृतिक एवं जनता के मध्य संबंध

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारत और जापान कला प्रदर्शनियों, फिल्म समारोहों और शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न आदान-प्रदानों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं।
- **पर्यटन:** जापान भारतीय पर्यटकों के लिए तेजी से लोकप्रिय गंतव्य बन रहा है, और भारत भी इसी प्रकार लोकप्रिय हो रहा है। विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान आपसी समझ में योगदान देता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत ने इस बात पर बल दिया कि "2+2" वार्ता को आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो वर्ष पूर्व टोक्यो में उनकी पिछली बैठक के पश्चात् से, वैश्विक विकास और क्षमताओं में बदलाव ने उनके संबंधों को फिर से मापने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।
- इसमें इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि भारत-जापान साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के पालन पर आधारित है।
- भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों को दृढ करना जारी रखते हैं, विशेषकर क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में। इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है और दोनों देश भू-राजनीतिक जटिलताओं के सामने एक स्थिर और खुला वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Source: ET

वित्तीय बाज़ारों में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए रूपरेखा

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए परामर्श मंच प्रदान करने हेतु वित्तीय बाजार क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए एक रूपरेखा जारी की।

RBI के ढांचे में उल्लिखित प्रमुख विनियम:

RBI ढांचा, फिनटेक फर्मों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFCs) जैसे वित्तीय बाजार खंडों की देख-रेख के लिए SROs को मान्यता देने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- **आवेदन प्रक्रिया:** आवेदन ईमेल के माध्यम से या मुंबई में RBI के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- **पात्रता मानदंड:** *गैर-लाभकारी:* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी इकाई होनी चाहिए, जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति ₹10 करोड़ और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा हो।
- **स्वैच्छिक सदस्यता:** सदस्यता स्वैच्छिक होनी चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व:** विभिन्न क्षेत्र की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि वर्तमान प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए दो वर्ष का रोडमैप प्रदान किया जाना चाहिए।
- **निदेशक:** आर्थिक अपराधों सहित अपराधों के लिए पिछले दोष-सिद्धि के बिना सक्षम, निष्पक्ष और प्रतिष्ठित निदेशक होने चाहिए।

- RBI यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है कि SRO की कार्यप्रणाली सार्वजनिक हित में हो।

स्व-नियामक संगठनों के बारे में

- स्व-नियामक संगठन वे संस्थाएँ हैं जो उद्योगों द्वारा स्वयं अपने सदस्यों के आचरण को विनियमित करने और उनकी देखरेख करने के लिए बनाई जाती हैं।
- सरकारी नियामक निकायों के विपरीत, जो विधायी या कार्यकारी कार्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, SROs उद्योग के हितधारकों द्वारा बनाए जाते हैं और प्रायः उद्योग द्वारा विकसित नियमों और दिशा-निर्देशों के ढांचे के तहत कार्य करते हैं।

प्राथमिक उद्देश्य:

- SROs ऐसे मानक तथा अभ्यास विकसित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं जिनका सदस्यों को पालन करना चाहिए, ताकि उद्योग के अंदर स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- वे सदस्यों के बीच कदाचार और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए नैतिक दिशा-निर्देश और आचार संहिता निर्धारित करने में मदद करते हैं।
- SROs प्रायः सदस्यों के बीच या सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, इस प्रकार निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- वे सदस्यों को उद्योग के विकास, नियामक परिवर्तनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सूचित रहने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करते हैं।

चुनौतियां

- यद्यपि SROs उद्योग के स्व-नियमन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  - सदस्यों के बीच लगातार अनुपालन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में।
  - SROs को बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करना चाहिए, जिससे कभी-कभी संघर्ष हो सकता है।
  - SROs की प्रभावशीलता उस नियामक निरीक्षण की सीमा से प्रभावित हो सकती है जिसके वे अधीन हैं।
  - स्व-नियमन और बाहरी विनियमन के मध्य सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- भारत में SROs अपने विनियामक ढांचे को बढ़ाने, बेहतर अनुपालन के लिए नई तकनीकों को अपनाने और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना रखते हैं।

- इन चुनौतियों का समाधान करके, SROs विभिन्न उद्योगों में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं। जैसे-जैसे उद्योग विकसित होते हैं, SROs को आधुनिक स्व-नियमन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए अनुकूलन और नवाचार करने की आवश्यकता होगी।

Source : TH

संक्षिप्त समाचार

जलस्तंभ

सन्दर्भ

- हाल ही में, इटली के सिसिली तट पर एक खतरनाक तूफान की चपेट में आकर एक लक्जरी नौका डूब गई थी, यह तूफान एक जलस्तंभ हो सकता था।

परिचय

- जलस्तंभ एक जल निकाय के ऊपर घूमता हुआ हवा और धुंध का एक बड़ा स्तंभ है।
- यह बवंडर से कमज़ोर होता है और सामान्यतः लगभग पाँच मिनट तक रहता है - कभी-कभी यह 10 मिनट तक भी चल सकता है।
- औसत जलस्तंभ लगभग 165 फीट व्यास का हो सकता है, जिसमें हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
- हालाँकि जलस्तंभ उष्णकटिबंधीय जल में अधिक सामान्य हैं, वे कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। वे तब होते हैं जब आर्द्रता का स्तर अधिक होता है और ऊपरी वायु की तुलना में पानी का तापमान अपेक्षाकृत उष्ण होता है।
- जलस्तंभ दो प्रकार के होते हैं: टॉरनेडिक जलस्तंभ और फेयर-वेदर जलस्तंभ।
    - टॉरनेडिक जलस्तंभ वास्तव में बवंडर होते हैं जो पानी के ऊपर बनते हैं या ज़मीन से पानी की ओर बढ़ते हैं।
    - फ़ेयर-वेदर जलस्तंभ , जो अधिक सामान्य हैं, सिर्फ़ पानी के ऊपर बनते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे अच्छे मौसम के दौरान बनते हैं।
    - वे कम ख़तरनाक होते हैं और सामान्यतः छोटे होते हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे समुद्र का तापमान में वृद्धि हो रही है, जलस्तंभों की आवृत्ति भी बढ़ रही है।

Source: IE

महाराष्ट्र के धनगर

सन्दर्भ

- हाल ही में, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में धनगरों के एक बड़े समूह ने अपनी भेड़ों और बकरियों के लिए 'चारागाह गलियारे' की मांग की।

धनगरों के बारे में

- धनगर चरवाहों का एक समुदाय है जिसकी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है।
- वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं।
- **चराई गलियारे और उनका संघर्ष:** ऐतिहासिक रूप से, धनगर अपने पशुओं को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों का अनुसरण करते रहे हैं। ये मार्ग उनकी जीवनशैली में गहराई से समाहित हैं, और वे अनादि काल से अपने झुंडों को इन्हीं मार्गों पर चराते आए हैं।
    - ये मार्ग केवल जीविका के लिए नहीं हैं; ये उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं।
- **अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने की कोशिश:** धनगर वर्तमान में महाराष्ट्र की विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति (VJNT) श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
    - हालांकि, वे दशकों से अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
    - रोचक तथ्य यह है कि देश के अन्य भागों में उन्हें "धंगड़" के रूप में पहचाना जाता है और ST समुदाय के रूप में आरक्षण का लाभ मिलता है।

Source: IE

जन पोषण केंद्र

सन्दर्भ

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 4 राज्यों में 60 राशन दुकानों को "जन पोषण केंद्र" में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।
    - इस अवसर पर उन्होंने FPS **सहाय एप्लीकेशन** और **मेरा राशन ऐप** 2.0 भी लॉन्च किया।

परिचय

- जन पोषण केंद्र पूरे भारत में उचित मूल्य की दुकान (FPS) विक्रेताओं की आय के स्तर को बढ़ाने के लिए उनकी मांग के समाधान प्रदान करता है।
- ये केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की विविध पहुँच उपलब्ध कराएंगे और साथ ही FPS विक्रेताओं को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेंगे।

- जन पोषण केंद्र में पोषण की श्रेणी के अंतर्गत 50% उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी।

FPS-सहाय और मेरा राशन ऐप 2.0

- **एफपीएस-सहाय** एक ऑन-डिमांड इनवॉइस आधारित वित्तपोषण (IBF) एप्लिकेशन है, जिसे FPS विक्रेताओं को पूरी तरह से कागज रहित, उपस्थिति-रहित, संपार्श्विक-मुक्त, नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **मेरा राशन ऐप 2.0** मोबाइल ऐप को देश भर के लाभार्थियों के लिए अधिक मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है।

Source: TH

दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए BPaLM व्यवस्था

सन्दर्भ

- भारत BPaLM के प्रयोग के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है।

BPaLM उपचार पद्धति क्या है?

- यह मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट या रिफैम्पिसिन-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR/RR-TB) के इलाज के लिए बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन (BPaLM) से बना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2022 में अनुशंसित, वर्तमान में, लगभग 40 देशों में टीबी रोगियों के पास इस नए उपचार तक पहुंच है।

महत्त्व

- BPalM प्रोटोकॉल अधिक प्रभावी है, इसमें उपचार की अवधि कम है (प्रचलित 18-24 माह के तुलना में छह माह), इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संक्रमण को रोकता है, जिससे यह टीबी को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।
- भारत, जो वैश्विक टीबी मामलों का लगभग 27 प्रतिशत भाग है, को इससे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, इस कदम से देश के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य 2025 तक इस बीमारी को समाप्त करना है।

Source: IE

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

सन्दर्भ

- केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

- हथकरघा से तात्पर्य हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया से है।

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाएं

- **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP):** NHDP को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।
  - यह योजना हथकरघा के एकीकृत एवं समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है।
- **यार्न आपूर्ति योजना (YSS):** यार्न आपूर्ति योजना (YSS) को आंशिक संशोधन के साथ, जिसका नाम बदलकर कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS) कर दिया गया है, को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दे दी गई है।
  - पात्र हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर गुणवत्तायुक्त धागा एवं उनके मिश्रण उपलब्ध कराना।
- **हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण योजना:** यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (MGBBY) के घटकों के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज प्रदान कर रही है।
- **बुनकर मुद्रा योजना:** इस योजना के तहत, हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- **शहरी हाट:** शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएँ प्रदान करने और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ये बड़े शहरों/महानगरों में स्थापित किए जाते हैं।
- **डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन (DTU):** इस योजना का उद्देश्य विदेशी बाजारों के लिए नवीन डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनरुद्धार और विरासत के संरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है।

Source: TH

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था अच्छी तरह से कार्य कर रही है और इसे अधिक विवेकाधीन व्यवस्था के पक्ष में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जोखिमपूर्ण और प्रतिकूल हो सकती है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में

- इसमें एक केंद्रीय बैंक द्वारा एक विशिष्ट समय सीमा के अंदर सार्वजनिक रूप से घोषित संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता सम्मिलित होती है।
- लक्ष्यों के प्रकार: **बिंदु लक्ष्य:** एक विशिष्ट संख्यात्मक लक्ष्य।
  - **बैंड लक्ष्य:** मुद्रास्फीति को एक सीमा के अंदर लक्षित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** एक स्पष्ट मध्यम अवधि मुद्रास्फीति दृष्टिकोण प्रदान करता है।
  - मुद्रास्फीति के आघातों और उनकी लागतों को न्यून करता है।
  - दीर्घावधि ब्याज दरों को अधिक स्थिर और कम बनाता है।
- **महत्वपूर्ण विचार:** संख्यात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से नीतिगत लचीलापन कम हो सकता है।
  - मौद्रिक नीति की कार्रवाइयां मुद्रास्फीति को देरी से प्रभावित करती हैं; पूर्वानुमानों पर निर्भरता समस्याजनक हो सकती है।
  - लक्ष्यों में लचीलापन और अस्थिर घटकों के लिए समायोजन की अनुमति होनी चाहिए।
  - अत्यधिक लचीलापन केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकता है।
- **विकासशील देशों में संभावनाएँ:** उच्च मुद्रास्फीति दर और अनिश्चित भविष्य की मुद्रास्फीति भविष्यवाणियाँ लक्ष्यों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
  - केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता राजकोषीय आवश्यकताओं के कारण सीमित हो सकती है।
  - राजकोषीय चिंताओं के कारण केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने में अनिच्छुक हो सकते हैं।

Source: TH

मंगल ग्रह पर तरल जल

सन्दर्भ

- वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर तरल जल का भंडार खोजा है - जो ग्रह की बाह्य चट्टानी सतह की गहराई में स्थित है।

निष्कर्ष क्या हैं?

- यह निष्कर्ष नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के डेटा के नए विश्लेषण से सामने आए हैं, जो 2018 में ग्रह पर उतरा था।
- यह परत मंगल ग्रह की सतह में लगभग 10 से 20 किमी की गहराई पर स्थित है।
- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जल अरबों वर्ष पूर्व सतह से रिस सकता था जब मंगल पर नदियाँ, झीलें और संभवतः महासागर थे।

मंगल ग्रह

- यह सूर्य से चौथा ग्रह है और एक ठंडा मरुस्थली ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का आधा है।

- इसे कभी-कभी लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह जमीन में जंग लगे लोहे के कारण लाल है।
- यह एक गतिशील ग्रह भी है, जिसमें मौसम, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, घाटियाँ, विलुप्त ज्वालामुखी और इस बात के प्रमाण हैं कि यह अतीत में अधिक सक्रिय था।
- इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना बहुत विरल है।

Source: IE

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

सन्दर्भ

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक वृद्ध दम्पति की अपने 30 वर्षीय बेटे के लिए "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" की अनुमति देने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में

- यह जानबूझकर किसी मरीज को जीवन-रक्षक उपचार रोककर या वापस लेकर मृत्यु देने के कृत्य को संदर्भित करता है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु (जहां मरीज के जीवन को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्रवाई की जाती है) के विपरीत, निष्क्रिय इच्छामृत्यु में ऐसे हस्तक्षेपों से बचना सम्मिलित है जो कृत्रिम रूप से जीवन की अवधि में वृद्धि करते हैं। सामान्य परिदृश्यों में यांत्रिक वेंटिलेशन को बंद करना, कृत्रिम पोषण और जलयोजन को रोकना, या आक्रामक चिकित्सा उपचार को रोकना शामिल है।

भारत में विधिक विकास

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने (2018 में) निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों सहित व्यक्तियों के अग्रिम निर्देश (सामान्यतः "लिविंग विल" के रूप में जाना जाता है) बनाने के अधिकार को स्थिर रखा।
- अग्रिम निर्देश व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, यदि वे अक्षम हो जाते हैं और संवाद करने में असमर्थ होते हैं।
    - इन निर्देशों में विशिष्ट परिस्थितियों में जीवन रक्षक प्रणाली रोकने के निर्देश सम्मिलित हो सकते हैं।
- न्यायलय ने दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर सुरक्षा उपायों पर बल दिया और यह सुनिश्चित किया कि निर्णय मरीज की वास्तविक इच्छा के अनुरूप हों।

Source: TH

पुरंदर अंजीर

सन्दर्भ

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने GI-टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के जूस का पोलैंड को निर्यात करने में सहायता की है।

पुरंदर अंजीर

- यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर तालुका में उगाया जाता है और इसे भारत के बेहतरीन अंजीरों में से एक माना जाता है।
- इसमें गूदा उच्च मात्रा में होता है और यह विटामिन तथा खनिजों का समृद्ध स्रोत है। साथ ही, इसका स्वाद बहुत अधिक मीठा होता है और इसका रंग आकर्षक बैंगनी होता है।
- इन विशेषताओं का श्रेय जलवायु कारकों, लाल-काली मिट्टी और क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नमक रहित कुँआ सिंचाई तकनीक को जाता है।
- 2016 में, इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया गया था।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(APEDA)

- इसकी स्थापना 1986 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- APEDA को फलों, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री और उनके उत्पादों आदि जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Source: PIB

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

समाचार में

- भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) प्रदान किए।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के बारे में (NGA)

- यह भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसे भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2009 से पहले, इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था।

- इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् खनिज खोज और अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी और खनिज लाभकारीकरण, मौलिक / अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करना है।
- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार के लिए पात्र है।
- खान मंत्रालय प्रत्येक वर्ष तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है:
    - आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
    - राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
    - राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार

Source :PIB

■■■■